भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1494

11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण

1494. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आवंटित ऋण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें ऋण की राशि 3,00,000 रुपये से अधिक है;

(ग) क्या किसानों के बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) आंध्र प्रदेश में वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और आरआरबी (केसीसी के तहत) द्वारा सूचित अनुमोदित/बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है-

(रूपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत/बकाया राशि
2016-17	24,671.81
2017-18	25,862.88
2018-19	29,986.67
कुल	**80,521.36**

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ): केसीसी के तहत लघु कालिक उत्पादन क्रेडिट सीमा की स्वीकृति खेती के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, उगाने के लिए प्रस्तावित फसलों और फसल के लिए वित्तीय मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है। इस प्रकार केसीसी के तहत क्रेडिट सीमा के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरे और उसके बाद वाले वर्ष के लिए सीमा को फसलन के लिए पहले वर्ष की सीमा जमा केसीसी के कार्यावधि के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए लागत में बढ़ोतरी/वित्तीय मानक की सीमा का 10% के आधार पर नियत किया जाता है। इसके अलावा समग्र मुद्रास्फीति और वर्ष 2010 से वर्षानुगत कृषि आदान लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को मौजूदा 1 लाख रूपए से 1.6 लाख रूपए किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी, 2019 के परिपत्र द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्तीय बैंकों (एसएफबी) सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करके उनका अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

****